an>

Title: Need to take steps to control sound pollution in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष जी, जल एवं वायु प्रदूषण के समान ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सन् 2000 में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 बनाया था । इसके अंतर्गत शोर का स्तर दिन में 50 से 75 डेसीबल और रात में 40 से 70 डेसीबल अनुमन्य किया गया । परन्तु देखने में आता है कि नियमों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन किया जाता है । अनेक समारोहों में संगीत आदि बजाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीजे अथवा ढोल आदि यंत्रों द्वारा 100 डेसीबल से भी अधिक की ध्वनि का प्रदूषण किया जाता है ।

12.28 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

सभापति महोदया, डब्ल्युएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की छह प्रतिशत से ज्यादा आबादी पूर्ण अथवा आंशिक बहरेपन की शिकार है, जिसका मुख्य कारण लोगों का 60 डेसीबल से अधिक शोर के सम्पर्क में रहना है । इससे बधिरता के साथ ही हृदय रोग, मानसिक व्याधियां एवं अन्य संज्ञानात्मक रोग होने की संभावना होती है । बच्चे अथवा वृद्ध इसके सर्वाधिक शिकार होते हैं । इस ऊंचे शोर का कारण भारी गाड़ियों का थरथराना भी है । ध्वनि प्रदूषण की वजह से वृद्धजनों की तबीयत खराब होना अनेक माननीय सांसदों ने भी देखा होगा । स्वस्थ जीवन के लिए साफ हवा एवं शुद्ध जल के साथ-साथ शोररहित वातावरण की भी मौलिक जरूरत है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस विषय का संज्ञान लेते हुए डीजे एवं अन्य उपकरणों द्वारा किए जा रहे शोर को नियमानुसार नियंत्रित करे तथा इसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे ।